1405 hours

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Mr. Chairman, Sir, I am extremely delighted that we have had exactly 20 Members participating in this debate. The same number of Members had spoken on this on 12th of December. There were six common Members. So, effectively I have got the benefit or sage advice of at least 34 Members who have spoken.

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): You are also wise.

SHRI PIYUSH GOYAL: I am a much wiser man today with all the great inputs that I have received from my young friend Deepender. But I would like to place on record my appreciation of both the concerns that have been flagged off and the valuable suggestions that have been brought before me.

I wanted to start by just highlighting a few things that hon. colleague Mr. Jyotiraditya Scindia had raised last time. Because at that point of time the whole process was new, we were just starting, he had expressed some doubts about our ability to do this auction. I will flag off the six doubts that he had raised.

He questioned, while coal production has been increasing at one, one and half, two per cent for so many years, how does this Minister expect to increase it by eight per cent a year so that we can achieve one billion tonnes?

100 करोड़ टन कोयला बनाने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की है कि 8 प्रतिशत ग्रोथ कैसे होगी? मैं उनको बहुत खुशी से बताना चाहूंगा कि जून से अभी कोयले का जो उत्पादन बढ़ा है, लगभग 7 प्रतिशत से अधिक ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि माइन-बाई-माइन प्लान बना कर, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एक सक्षम, मजबूत और भारत का जुअल बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उसे अच्छा काम करने देना चाहते हैं। वह वर्ष 2019-20 तक सौ करोड़ टन कोयला अवश्य बनायेगा।

उन्होंने यह भी कहा था कि जमीन और पर्यावरण के क्लीयरैन्सेज में तो 7-8 साल लग जाते हैं तो माइनें कब खुलेंगी? मैं बड़ी खुशी से कहना चाहूंगा कि पर्यावरण मंत्रालय बहुत तेजी से काम कर रहा है

और पिछली सरकार ने जमीन से सम्बन्धित जो अध्यादेश/कानून लाये थे, उसमें कोल बैरिंग ऐक्ट्स को अलग रखा गया था, उनको इन्क्लूड नहीं किया गया था। हम जो अध्यादेश जमीन के सिलसिले में लाये हैं, उसमें कोल बैरिंग एक्ट्स को भी अभी शामिल कर दिया गया है और सभी लॉज, आर एण्ड आर, इन्क्रिज कॉम्पनसैशन, अभी वे सभी कोयले की खदानों में भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि वह अध्यादेश कानून में जल्दी परिवर्तित हो जाय, और सर्वसम्मति से हो जाये, जिससे कोयले की खदानों में भी उसका लाभ मिले।

उन्होंने यह भी कहा था कि क्यों नहीं मैं कोल इंडिया को रिस्ट्रक्चर करता हूं? मैं सदन को बताना चाहूंगा कि रिस्ट्रक्चर की परिभाषा, जो उन्होंने कही थी कि छोटी कम्पनियां बना ली जाये, वह इस सरकार को मान्य नहीं है, हम कोल इंडिया को एक कम्पनी के रूप में देखना चाहते हैं और कोल इंडिया को और मजबूत बनाना चाहते हैं। हम रिस्ट्रक्चरिंग में टेक्नोलॉजी लायेंगे, उत्पादन बढ़ायेंगे, अच्छा काम करेंगे, कामगारों के लिए अच्छे सेफ्टी स्टैन्डर्ड और तनख्वाह का प्रबन्ध करेंगे।

उन्होंने यह कहा था कि 7 महीनों से सी.एम.डी. नहीं हैं। वह सी.एम.डी. तेलंगाना में चले गये। उसके बाद एक प्रक्रिया हुयी और मैं खुशी से बताऊंगा कि दिसम्बर, जिस महीने में डिबेट हुई, उसके आखिरी तक नये सी.एम.डी. ने अपना पद भार सम्भाल लिया था।

आखिरी में, उन्होंने टिप्पणी की थी कि सरकार का टाइम-टेबल कभी मीट नहीं होता है। हर टाइम-टेबल में ऐसे ही डेट दी जाती है और वह कभी हो ही नहीं सकता है और आपका भी टाइम-टेबल फेल होगा। मैं बड़ी खुशी से सदन को समर्पित करता हूं कि हमने टाइम-टेबल के हर एक दिन और हर एक जिम्मेदारी को समय के अनुसार पूरा किया है। जिस समय और जिस टाइम-टेबल पर जो काम होना था, करके 31 मार्च तक जो पहले माइनें ऑक्शन या एलॉट होनी हैं, खासतौर पर जो 42 माइनें चल रही थी या चलने की संभावना थी, उन सबको हमने पूरा किया है।

(p2/1410/nsh-gm)

इस डिसकशन में आज जो विषय निकले, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं सदन के सामने पेश करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने थोड़ा परिपेक्ष्य दिया। दीपेन्द्र जी ने इस विषय का उल्लेख किया। मैं वास्तव में राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने उल्लेख किया है तो दीपेन्द्र जी, मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा कि यह वर्ष 1993 से चल रहा था और 2010, 2011, 2012 तक, सुप्रीम कोर्ट ने बीस साल का कैंसिल किया जिसमें आठ वर्ष तक आपकी भी सरकार थी या विपक्ष की सरकार थी। हमारी छ: वर्ष थी, दो वर्ष युनाइटेड फ्रंट जिसके कई सहयोगी यहां बैठे हुए हैं और जिसका समर्थन आपकी पार्टी ने किया था। एक माननीय सदस्य ने बताया, 1993 के जब ऑक्शन शुरू हुए, अगर मैं उसकी डिटेल उनके

सामने रखूं तो बेचारे हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 20 ब्लॉक्स का आवंटन एन.डी.ए. के समय में किया गया, 16, 20 आपको जो आंकड़ा लेना है, लीजिए। आंकड़ा ब्लॉक्स का नहीं होता, आंकड़ा होता है कि कितने मिलियन टन दिए गए। मैं आपको बताऊं कि एन.डी.ए. के पूरे छ: वर्ष के कार्यकाल में मात्र 148 करोड़ टन ब्लॉक्स का ऐलॉटमैंट प्राइवेट सैक्टर को हुआ जबकि आपके छ: वर्ष के कार्यकाल में जब तक ऐलॉटमैंट हुआ, उसमें अधिकतर 2006 से 2009, चुनाव के तुरंत पहले किया गया, 1,228 करोड़ टन, 148 against 1,228 crores tonnes. अगर पूरा देखें तो छ: वर्ष में मात्र 4 बिलिटन टन ऐलॉट हुआ यानी 400 करोड़ टन और आपके कार्यकाल में 3,759 करोड़ टन, लगभग दस गुना कोयला आपने 3-4 वर्षों में दिया जबकि डिमांड बढ़ रही थी, आपको भी पता था कि अब डिमांड बढ़ रही है, कोयला महंगा होता जा रहा है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा, वर्ष 2003 में इलैक्ट्रिसिटी एक्ट अमैंड हुआ। अमैंडमैंट के बाद डिमांड आई, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दाम बढ़े।

1413 बजे (माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

तभी कोयले की माइनिंग वॉयबल हुई और एक पूर्व सचिव ने आपके प्रधान मंत्री जी को सुझाव दिया कि अब इसकी नीलामी की जाए। पुराना प्रोसैस अब तक ठीक चल गया, आगे इसकी नीलामी कीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा कि अब नीलामी होनी चाहिए। लेकिन दस वर्ष तक आपकी सरकार एक माइन की नीलामी नहीं कर पाई। आप क्रैडिट लेना चाहते हैं तो लीजिए। आपने कानून बनाया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। इनके राज्य में एक ब्लॉक ई-ऑक्शन क्या, ऑक्शन या टैंडर भी नहीं हुआ। हमने मात्र नौ दिन में 14 से शुरू करके 22 तारीख तक 19 माइन्स 18 बिड द्वारा ऑक्शन कीं। मुझे खुशी है कि आज से ऑक्शन का नया दौर शुरू होने जा रहा है।

यह राजनीतिक टिप्पणी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे ठीक कर लें। आज जो मुद्दे उठाए गए हैं, मैं उन पर ध्यान आकृष्ट करूंगा। श्री भर्तृहरि, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ और माननीय सदस्यों ने कहा कि यह राज्य की सम्पत्ति होती है और आर्बिटरी तरीके से कोल ब्लॉक इंड्यूस हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एक-एक ब्लॉक टैक्नीकल कमेटी, जिसमें हरेक डिपार्टमैंट के लोग मैम्बर्स हैं, उस टैक्नीकल कमेटी द्वारा डिसाइड किया गया कि इसे किस परपज़ के लिए किया जाए। कोई भी ब्लॉक स्टील से पावर में ट्रांसफर नहीं किया गया, स्टील के ब्लॉक स्टील में हैं। एक इंटर-मिनिस्ट्रियल टैक्नीकल कमेटी ने कुछ ब्लॉक्स जो स्पॉन्ज आयरन के लिए थे, उन्हें जरूर पावर में शिफ्ट किया, लेकिन एक डिफाइन्ड क्राइटेरिया जिसमें 7-8 बिन्दु हैं, मैं 7-8 बिन्दु पढ़ सकता हूं नहीं तो जिन सदस्यों को इंटरस्ट हैं, उन्हें दे सकता हूं। उनमें प्रमुख बिन्दु यह है कि कौन से ग्रेड का कोयला है। अगर अच्छे ग्रेड का है तो नान-रैगुलेटेड पावर,

स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम में जाए, कम ग्रेड का है तो पावर में जाए, जो विश्व का नियम चला आ रहा है। दूसरा, रिजर्व्स कितने हैं?

(q2/1415/nk-rsg)

अगर 100 मिलियन टन से ज्यादा रिजर्व है, जहां तक हो सके पॉवर के लिए दें। कई सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि देश में बिजली की किल्लत है। आज देश बिजली के लिए तरस रहा है। 30 करोड़ लोग आज भी आजादी के 67 साल बाद बिना बिजली के हैं। हुड्डा जी, मेरे ख्याल से 50 वर्ष से अधिक समय तक आपकी सरकार रही है। इसके बावजूद 30 करोड़ लोगों को बिजली नहीं मिलती है। उन सब लोगों की जरूरतों को हमें पूरा करना होगा। इसमें प्रांत या राज्य का सवाल नहीं है। यह पूरे देश की समस्या है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या झारखंड सभी इस देश के अंग है। जैसा दुष्यंत जी ने कहा, कुछ राज्य अनाज देते हैं, तब वह यह तय नहीं करते हैं कि ओडिशा या वेस्ट बंगाल में नहीं भेजेंगे। वैसे ही अगर यह संपत्ति ओडिशा या वेस्ट बंगाल की है, देश में बिजली बने, यह उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जब ब्लॉक फ्री में दिए जा रहे थे, तब कोई आपत्ति नहीं आई। आज हम ऑक्शन कर रहे हैं, अलॉटमेंट में भी राज्यों को सही दाम दे रहे हैं। जो अलॉटमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हो रहे हैं, उसमें भी एक प्राइस आपके लिए रख रहे हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या तेलंगाना जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इन राज्यों को सबसे ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। यह कानून सर्वसम्मति से पारित हो, जिससे देश में यह मैसेज जाए कि ईमानदारी का सम्मान हुआ है। हरेक राज्य ने मिलकर एक ट्रांसपरेंट और ऑनेस्ट प्रोसेस पर को अमल किया है। देश में बिजली संकट को दूर करने में हम सभी एक-दूसरे से मिलजुलकर सहमति से काम करेंगे।

भर्तृहरि जी, ने अर्जेंसी की बात की थी। आप जानते हैं कि 42 ब्लॉकस कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसा दीपेन्द्र जी ने कहा, पुराने कानून के हिसाब से भी ऑक्शन हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल माइनिंग लाइसेंस कैंसिल किया, माइन लैंड, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर निजी क्षेत्र के हाथों में ही था। उनको जब तक सरकार वापस नहीं लेती, इसके लिए हम उन्हें मुआवजा देने जा रहे हैं। जब हम इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट का ऑक्शन करते हैं, जिसमें कोयले की खदान भी है, जमीन भी है, सभी फिक्सड इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, तभी वह ऑक्शन हो सकेगा। अगर जमीन और माइनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी और की होती, 31 मार्च सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेट है, उस दिन सारी माइन्स बंद हो जातीं, हजारों कामगार बेरोजगार हो जाते, बेघर हो जाते, इस देश में कोयले की वैसे ही कमी है। इससे कोयले की कमी और ज्यादा बढ़ती। उसे विदेश से आयात करना पड़ता, फॉरेन एक्सचेंज ऑफेक्ट होता। पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती। इसके साथ ही स्टील, सीमेंट, पॉवर महंगा होता और देश में परिस्थिति बिगड़ती। यह बहुत आवश्यक था कि आर्डिनेंस लाया

जाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दोनों सदन इसे सर्वसम्मति से पारित करें। जिससे खानें चलती रहें, प्रोडक्शन होता रहे, हम दूसरे खानों को जल्दी शुरू करके उत्पादन शुरू कर सकें। आपने रिवर्स बीडिंग की बात की, मैंने कई बार समझाया है कि रिवर्स बीडिंग एक बहुत ही सुंदर तरीका है जो एक्सपर्ट से कन्सलटेंशन करके बनाया गया। मैंने इन्श्योर किया है कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़े, बल्कि देश में इसकी कीमत कम हो। प्रधानमंत्री जी का देश को वादा था कि बिजली की कीमतें कम की जाएंगी, अफोर्डेबल पॉवर, चीप पॉवर, 24/7 घंटे के लिए हमारा दृढ़ संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए रिवर्स ऑक्शन किया गया, जिससे बिजली की कीमतें कम रहेंगी। कल्याण जी, देश की जनता ओडिशा और अन्य सभी को धन्यवाद करेगी कि आप के यहां से आया हुआ सस्ते कोयले से सस्ती बिजली बने। वह देश की सेवा में रहे। ...(व्यवधान) साथ ही साथ कई माइन्स कमर्शियल माइनिंग के लिए दी जाएगी, कुछ माइन्स नॉन-रेग्युलेटड सेक्टर के लिए दी जाएगी।

(r2/1420/rjs-rk)

आपके राज्य की पी.एस.यूज. राज्य सरकार को दी जायेंगी, जिससे आपके राज्य में इकोनामिक डेवलपमैंट फास्टर्स हो सके। आपके राज्य में तेजी से औद्योगिकरण हो, सस्ती बिजली बने, जिसे बेचकर आप और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो कमर्शियल माइनिंग कोल मिलेगा, उसे अंतर्राष्ट्रीय दाम पर बेचकर आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं।

मैं ओडिशा के संदर्भ में एक बात जरूर बताना चाहूंगा। आपने बार-बार जिक्र किया कि हमें पैसा क्या मिला? एक लाख करोड़ रुपये में से सिर्फ 500 करोड़ रुपये मिले। किसी ने मुझसे पूछा, शायद कल्याण जी ने पूछा कि यह पैसा कब आयेगा? उन्होंने कहा कि आप हमें समय बताइये। ...(व्यवधान) भाई साहब, यह पूरी ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर है। शुरू में दस प्रतिशत अप फ्रंट फी आयेगी, जो राज्य को जायेगी। जैसे-जैसे कोयले की खदान से कोयला निकलेगा, वैसे-वैसे आपको इसकी रॉयल्टी 14 प्रतिशत और साथ-साथ जो एडिशनल लैवी ऑक्शन द्वारा आयेगी, वह दोनों आपके राज्य को हर वर्ष मिलेगी। उसकी पूरी डिटेल्स हमने ट्रांसपेरेंटली पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर डाल रखी है। अभी तक ओडिशा की एक ही माइन खुली थी। जो माइन्स ऑक्शन हुई हैं, वे ये माइन्स हैं जो आलरेडी प्रोडक्शन में है। अनफॉर्चुनेटिली आपके राज्य में अभी तक ज्यादा माइन्स नहीं खुली हैं। उसके लिए जमीन लगती है, इन्वायरमेंट क्लीयरेंस, फॉरेस्ट क्लीयरेंस की जरूरत होती है। जैसे-जैसे आप तेजी से वे क्लीयरेंसेज देंगे, वैसे-वैसे माइन्स प्रोड्यूस करेंगी और आपके राज्य की आमदनी बढ़ेगी। अभी एक ही माइन इसलिए है, क्योंकि अभी तक एक ही माइन इन आपरेशन थी, जिसमें आपको 1200 करोड़ रुपये आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे।

मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ओडिशा की 30 माइन्स हैं, जिनमें 12000 मिलियन टन, मतलब एक हजार दो सौ करोड़ टन की हैं। अभी तक जो माइन ऑक्शन हुई है, वह एक करोड़ टन की है। 1200 करोड़ में से एक करोड़ टन की माइन ऑक्शन हुई है, इसलिए आप जल्दबाजी में मत सोचिए। अभी और समय बाकी है, और कई माइन्स आनी है, वह सब पैसा आपको ही जायेगा।

जहां तक चर्चा करने की बात है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे अधिकारी हर एक राज्य के अधिकारियों के साथ निरंतर चर्चा करते हैं, वाद-विवाद करते हैं, यानी सम्पर्क में हैं। जो-जो निर्णय लिये जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके ही लिये जा रहे हैं। रविन्द्र पाण्डेय जी ने कई अच्छे सुझाव दिये। मैं कोल बेरिंग एरियाज के वेल्फेयर के बारे में बहुत चिंतित हूं। आगे आने वाले दिनों में कामगारों और विस्थापितों के लिए अच्छी सुविधाएं हों, उस पर मैं चिंता करूंगा।

श्री विनसेंट पाला जी ने कुछ विषय निकाले। आपने क्लॉज फाइव का जिक्र किया कि क्या कंडीशन्स, कन्टिन्जेंसीज होंगी? वे सब माइन्स स्टेट गवर्नमैंट और पी.एस.यूज. को दी जा रही हैं इसलिए उसमें कोई कन्टिन्जेंसीज का सवाल नहीं है। मैं सबसे पहले राउंड में देख रहा था कि कर्नाटक की बहुत सारी माइन्स हैं। अगर यह अध्यादेश पास नहीं होता और 60 दिन की अवधि के बाद लैप्स हो जाता है तो शायद कर्नाटक में भी बिजली का संकट आ जायेगा, क्योंकि वे माइन्स महाराष्ट्र की माइन्स हैं। मेरे ऊपर महाराष्ट्र का बहुत दबाव है कि उनकी माइन्स महाराष्ट्र को दी जायें। लेकिन मैं संघीय ढांचे का सम्मान करता हूं। वे माइन्स कर्नाटक सरकार ने खोली है और कर्नाटक उसमें माइन कर रहा है। उससे वहां बिजली का उत्पादन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वे माइन्स चालू रहें और 31 मार्च को बंद न हों। इसलिए यह बिल 31 मार्च से पहले पारित हो जाये, जिससे कर्नाटक में बिजली का संकट न हो और ये कोयले की खानें आपको दी जा सकें।

आपने पूछा कि क्या एंड यूज रिस्ट्रक्शन रिमूव किया गया है? ऑन दी कान्ट्रेरी एंड यूज रिस्ट्रक्शन लाया गया है। जितनी माइनें अभी जारी हैं, उन सब पर एंड यूज रिस्ट्रक्शन है। हमने विश्वास दिलाया है कि जब तक सब एंड यूज रिक्वायरमैंट पूरी तरीके से मीट न हो, तब तक हम प्राइवेट सैक्टर को कोई भी माइन कमर्शियल माइनिंग के लिए नहीं देंगे। वे कुछ देंगे तो उस बारे में मैंने पिछली बार सदन को विस्तार से बताया था। फिर एक बार दोहराता हूं कि आज लाखों लाल मिट्टी के भट्टे हैं। अभी किसी सदस्य ने उस बारे में बात की। हजारों रिफेक्टरी प्लांट्स हैं। करोड़ों महिलाएं आज भी पांच किलो, दस किलो कोयला खरीदती हैं, जिसके लिए 25 रुपये या 30 रुपये किलो देना पड़ता है। क्या इन सबको ब्लैकमार्केट से ही कोयला मिलेगा या कभी कोई व्यवस्था बनेगी, जिससे कम्पीटिशन आये, स्पर्धा हो। उस स्पर्धा में सस्ता

कोयला भट्टों को मिले, छोटे उद्योगों, बॉयलर वालों को मिले, गृहणियों और महिलाओं को मिले। वह प्रोविजन लाँग रन के लिए रखा गया है। अभी जितनी माइन्स हैं, वे एंड यूज के साथ ही दी जा रही हैं।

(s2/1425/vb-rc)

आपने ज्वाइंट वेंचर के सेक्शन 20 का जिक्र किया, वे ज्वाइंट वेंचर्स प्राइवेट और पब्लिक की नहीं हैं। यदि दो-तीन व्यक्तियों की कोई छोटी रिक्वायरमेंट है, तो वे भी बिडिंग कर पाएं और बिडिंग में स्पर्धा हो, इसलिए उनको ज्वाइंट वेंचर अलाऊ किया गया है। लेकिन उनको माइन तो बिडिंग के द्वारा ही मिलेगी। इसके साथ ही क्लाउज़ 21 की बात कही गयी है, -- right to fair compensation Will it apply? मैंने अभी बताया कि यह पहले नहीं अप्लाई करता था। अब हमने उसे दूसरे कानून में अप्लाई किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सदन में उसे पारित किया जाएगा। फिर लैंड एक्विज़ीशन के एमेंडमेंट के बाद कोल बैरिंग एरिया में भी ये लाभ जनता, किसानों तथा जमीन मालिकों को मिल पाएगा।

Then you asked do you calculate the reserve price and floor price. यह विषय भी शायद श्री विंसेंट पाला जी का था। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी क्रिसिल को नियुक्त किया गया है, उसने पूरा फॉर्मूला बनाया है और उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट एजेंसी तय करती है। मैं कुछ नहीं तय करता हूँ, पॉलिटिकल इस्टैब्लिशमेंट तय नहीं करती है, वह भी फॉर्मूला बेस्ड है। मैं पूरा फॉर्मूला समझा सकता हूँ, मुझे तो मज़ा आता है, इन सब टैक्नीकल बातों में, पर मैं उसमें समय नष्ट नहीं करूँगा।

श्री ए. अरूणमणिदेवन जी ने पी.एस.यूज़ के लिए रिज़र्वेशन के संबंध में एक-दो विषयों की बात की थी। I assure you that all PSUs and their requirements have been taken care of completely and adequately. The State Governments are also getting blocks as per their requirement. The requirement of safety and health care of NLC workmen particularly drinking water that you flagged off will certainly be looked into and they would be protected. This is a pro-worker Government. This Government believes in the welfare of the workmen who threw their sweat and toil and bringing out coal from the mines. You can rest assured that under no condition will their interest be compromised.

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, as regards NLC, many Members have raised this issue. The problem is that consecutive Governments have not solved this problem. Our hon. Amma also had written letters in this regard. The problem

of workers is a burning issue there. Some immediate action should be taken by NLC. They are getting only the assurances but nothing is being done.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I am very happy to inform the august House that when there was a workmen agitation in Neyveli, I personally intervened and got the workmen their due three months ago. I would shortly be visiting Chennai. I will certainly have conversation with the management of the Neyveli and look up what are the pending issues. I will try to solve them and then I will come and meet you.

HON. DEPUTY SPEAKER: You try to solve the problem.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, the foreign company issue raised by Shri Ravinder Kumar Jena ji is misplaced. कोई विदेशी कंपनी कोल ब्लॉक के आवंटन में भाग नहीं ले सकती है। जो कंपनी भारत में इंडियन कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो, केवल वही कंपनी भाग ले सकती है। साथ-साथ हम विदेशी कंपनियों को इंवाइट करें कि वे भारत आएं, नये टैक्नोलॉजी लाएं, जिससे अंडरग्राउंड माइन खुलें और कोल आऊटपुट और कोल क्वालिटी, जिसका श्री अरविन्द सावंत जी ने जिक्र किया था, वह सुधर सके, इसके लिए यदि विदेशी कंपनियाँ भारत में सेट-अप होती हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ओडिशा का पूरा सम्मान और उनका इंट्रेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा।

श्री अरविन्द सावंत जी ने जरूर कुछ अच्छी बातें कही, Mine closure is a matter I am very much seized of. माइन क्लोज़र एक गंभीर समस्या है, जो मैंने इनहेरिट किया है, जो मुझे विरासत में मिली है। देशभर में इतनी माइनें हैं, जिनको खत्म नहीं किया गया है, उनको लीचिंग की प्रोब्लम है। I have started a process to get some new technologies how to do mine closure without affecting the sub-soil quality of the land.

Arvindji has talked about captive mining, we are allowing everybody to participate in the auction. Captive mines are also allowed to participate in the unregulated sector.

Mr. M. Murli Mohan of TDP had raised the issue of coal linkage of Vijayawada and for setting up UNPPs. I assure you that Andhra Pradesh and Telangana have been committed 4000 MW each under the State Re-Organization

Act. This Government stands committed to implement all the promises under the State Re-Organization Act. I have already started the process in both the States and would urge you to help in getting the land faster so that we can implement these projects.

(t2/1430/snb-rps)

Shri P.Srinivas Reddy of YSR (CP) had raised the issue of Singreli and of CSR funds. I will certainly examine the matter. If you have any suggestions, I will welcome those suggestions about how those funds could be put to good use in the local area.

ताम्रध्वज साहू जी ने कुछ अच्छी बातों का जिक्र किया कि इसमें पारदर्शिता है, राज्यों को पैसा मिलेगा, उन्होंने कुछ अन्य विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया कि क्या हम यह कंट्रोल कर रहे हैं कि कोयले की माइन होगा, होर्ड नहीं होगा, हमने बहुत कड़े प्रावधान रखे हैं कि अगर माइनिंग प्लान के हिसाब से माइनिंग नहीं की जाएगी तो उनकी जितनी रॉयल्टी ड्यू है और आक्शन में जितना पैसा ड्यू है, उसको हम परफार्मेंस बैंक गारंटी लेकर जब्त करेंगे और साथ ही साथ माइन को कैंसिल करेंगे। आप चिन्ता न करें, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। आपने रिहैबिलिटेशन, प्रोडक्टिविटी इन्क्रीज करने की बात की है और माइनिंग टेक्नोलॉजी की बात की, ये सब चीजें इस बिल में नहीं है। उनके लिए अलग-अलग काम चल रहे हैं, हर बिल हरेक विषय को ध्यान में नहीं रखता है।

खान साहब ने डि-नेशनलाइजिंग की बात की, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई डि-नेशनलाइजिंग का प्रावधान नहीं है। You de-nationalise when you convert public to private. We are not doing anything like that. So, there is no de-nationalisation and any illegal mining will be strictly acted upon and action taken.

पी.एन. सिंह साहब ने एनसीडब्ल्यू वर्कर्स के वेलफेयर और प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स की बात की, इसके लिए माइन्स एक्ट में पूरे प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कल्याण बनर्जी जी को मैं बधाई देता हूं कि उनकी कमेटी ने पहले ऑक्शन और ई-ऑक्शन की बात की थी, उसको हमने और सुचारू तरीके से करने की कोशिश की है, उसके लिए प्रावधान लाए हैं। मैं समझता हूं कि आपने जो काम शुरू किया था, उसको हमने पूरा किया है। उसके लिए आप खुश होंगे।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): धन्यवाद।

श्री पीयूष गोयल: आपने जो रिवर्स ऑक्शन की बात कही थी, मैंने पहले भी आपको बताया है। आपने क्लबिंग की जो बात की - आयरन, स्टील एंड पावर, क्लबिंग करने का लाभ यह है कि कंप्टिशन बढ़ता है। अगर हम कुछ स्टील माइन्स, सीमेंट और कुछ एल्यूमनियम की क्लबिंग करें तो स्पर्धा कम होगी, आपके राज्य को दाम भी कम मिलेगा और उसकी वजह से कल आकर आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि आपने फलां कंपनी को मदद करने के लिए ऐसा किया। इसलिए हमने सबके लिए खुली स्पर्धा रखी है जिससे अच्छे दाम और ईमानदार नीलामी हो सकी। आपने इंटरिम कोल की बात की, मैंने पहले बताया है कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जितनी माइन्स चल रही हैं, अगर आप लोग दोनों सदनों में बिल को पारित कर दें तो ये माइन्स बन्द नहीं होंगी और इंटरिम प्राब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन अगर यह बिल पास नहीं होता है और कुछ माइन्स बन्द हो जाती हैं तो जरूर संकट आ सकता है। आपने पूछा है कि पैसा कब आएगा, जैसे-जैसे खदानें खुलेंगी, पैसा आता जाएगा।

श्री नागेन्द्र जी ने लैण्ड एक्वीजिशन के बारे में कहा, मैंने जवाब दे दिया है। गणेश सिंह जी ने किसानों पुनर्वास, नौकरी, मुआवजा आदि के बारे में बताया है, इस नए कानून में उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। शेर सिंह घुबाया जी ने जैसा कहा है, आज देश में पावर कट नहीं है। हमने लगभग हरेक राज्य को ऑफर किया है कि आप बिजली खरीद सकते हैं। जिन राज्यों के पास कमी है, उनमें ज्यादातर दक्षिण के राज्य हैं क्योंकि वहां ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम वहां पावर नहीं भेज पा रहे हैं। हम उसमें इनवेस्टमेंट करके जल्द से जल्द वहां भी भेजेंगे। बाकी देश में जो राज्य चाहें, बिजली आज सरप्लस है, कोयला सरप्लस है। पहले यह चिन्ता होती थी कि कोयला कम है, आज सभी पावर प्लांट्स में पर्याप्त मात्रा में कोयला है। उदय प्रताप सिंह ने सीएसआर के बारे में कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। दुष्यंत चौटाला जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अंडरग्राउण्ड माइनिंग में सेफ्टी पर ध्यान देना पड़ेगा। दीपन्द्र जी के कई विषय हैं, मैं हरेक पर नहीं बोलूंगा, मंत्री जी का आदेश है कि जल्दी खत्म करूं, आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है कि ऑक्शन आपने शुरू किया, लेकिन नीलामी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लॉक्स कैंसिल किए, उसमें जो घोटाला हुआ था, वह आपके समय हुआ था, लेकिन आपने स्वयं कहा है कि नेचुरल रिसोर्सेस पूरे देश के हैं। उसी हिसाब से यह राज्य हमें सहयोग करते हुए पूरे देश में बिजली की कमी कम करेंगे।

(u2/1435/jr-brv)

लीज़ 50 वर्ष की नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, वह 30 वर्ष की है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अमेरिका में ऑक्शन नहीं होता है, ऑक्शन के बिना दी जाती है, हम तो ऑक्शन कर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अमेरिका और इंडोनिशया में ऑक्शन होता है।

श्री पीयूष गोयल : आप बाद में टेबल पर रख देना।

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Sir, I want to put it on record.... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, please address the Chair.

श्री पीयूष गोयल: अगर आपकी बात ठीक भी होगी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विषय यह है कि हमने 30 वर्ष की लीज़ का प्रावधान किया है, क्योंकि उसमें कोयला 30 वर्ष तक रहता है। उसका पूरे तरीके से खनन हो और डिसरप्ट न हो, बिजली का उत्पादन भी 30 वर्ष तक सीधे चलता रहे। इसमें मोनोपली का सवाल नहीं है, यह ओपन बिडिंग है। हर कम्पनी उसमें भाग ले सकती है।

महताब जी ने कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट की बात कही। मैं समझता हूं कि अभी तक तो पूरे देश ने प्रधान मंत्री जी की सराहना की है कि कोयला मंत्रालय और बिजली मंत्रालय एक मंत्री के पास होने से बिजली की समस्या का भी समाधान हो रहा है। आप पहली बार इसे कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्टील, कामर्स, माइंस, लॉ, फाइनेंस आदि को जोड़कर सभी निर्णय लिए गए हैं। इसलिए इसमें कोई कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर सकते हैं कि मैं पावर को फेवर करूं और बाकी को नहीं, ऐसा नहीं है। सदन इतना जरूर मानेगा कि बिजली को हमें ज्यादा अहमियत से देखना पड़ेगा।

आपने एक डेंजरस पाइंट कहा कि इम्युनिटी फार ऑफिसर्स। पुराने दिनों में इन अधिकारियों के साथ क्या बीती है और किस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बेचारे ईमानदार अधिकारी फंसे हैं। कोयला मंत्रालय ऐसा मंत्रालय था, जहां कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं था। लेकिन हमने कोई इम्युनिटी नहीं दी है। आप उस वर्डिंग को पढ़ें, कोई प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट की इम्युनिटी नहीं है। Immunity is for actions taken in good faith. मैं समझता हूं कि सब राजनीतिक दलों की अलग-अलग राज्यों में सरकारें हैं। आप समझेंगे कि सरकारी अधिकारी किस परिश्रम से, किस मेहनत से और कितना जोखिम उठाकर काम करते हैं। हमारा कर्त्तव्य बनता है कि उनका भी सम्मान करें और ध्यान रखें।

जगदम्बिका पाल जी और कौशलेन्द्र कुमार जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। उन पर मैं पूरे तरीके से अमल करूंगा। ओवरऑल हम देखें तो आप सबके जो सुझाव आए हैं, उनमें से काफी सुझावों को पहले ही बिल में रखा गया है। कुछ और सुझावों पर मैं पूरे तरीके से अमल करूंगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि देश में एक मैसेज जाए कि पूरा सदन हरेक पक्ष ईमानदार तरीके से देश के नेचुरल रिसोर्सेज

बंटे, ईमानदार तरीके से देश की सेवा में लगें। गरीब से गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिले। गरीब से गरीब आदमी का घर बन पाए, उसके लिए स्टील और सीमेंट बने। यह इस कार्य को करने के लिए एक कदम है। कोयला खदानें चालू रहें 31 मार्च के बाद भी, उसके लिए अर्जेंसी है इसलिए दोनों सदन इसे पारित करें। आप सभी का आशीर्वाद मिले, यह आप सबसे अनुरोध है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष जी, हर राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। इसे आपने अपने अंदाज में समझाया है। मेरी एक ही शंका है कि जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन नहीं होता, वहां दूर से कोयला लाना पड़ता है, जैसे कर्नाटक है, असम है। चाहे झारखंड से लाएं या दूसरे कोयला उत्पादन वाले राज्यों से लाएं। कर्नाटक के नजदीक कोयला उत्पादन करने वाले प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं। वहा से हमारे राज्य को कोयला मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिस्क्रीशनरी पावर आपके पास है ब्लॉक्स एलॉट करने की, अगर उस डिस्क्रीशन को ज्यूडिशियसली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन राज्यों को बड़ी तकलीफ होगी। आपके पास कर्नाटक से इस मुद्दे को लेकर एक डेलीगेशन आया था, शायद आप बाद में उससे मिलेंगे। मेरा यही कहना है कि आपने जो पहले एलॉटमेंट किया था, उसे कायम रखें। अगर उसमें कोई बदलाव करते हैं, तो जो ढांचा उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया है, उससे उन्हें नुकसान होता है।

(w2/1440/mm/spr)

यह बात आप ध्यान में रखिए और इसके लिए हमें आश्वासन दीजिए।

श्री पीयूष गोयल : महोदय, खड़गे जी ने बहुत अच्छी बात रेज़ की है। यह सरकार 125 करोड़ देशवासियों की सरकार है। हम कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि किस राज्य में किस दल की सरकार है। मैं माननीय खड़गे जी को विश्वास दिलाता हूं और मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि महाराष्ट्र, जहां से मैं स्वयं चुनकर आया हूं, उनका प्रैशर है कि हमारे यहां की खानें हैं और पावर प्लांट उससे 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन पिछली सरकार ने बहुत दूर जाकर खान दी थी। मेरे राज्य के प्रैशर के बावजूद मैंने यह ध्यान में रखा कि कर्नाटक को भी थोड़ी दूर से मिले और महाराष्ट्र को भी थोड़ा दूर से मिले। इस प्रकार से मैं पूरे अलॉटमेंट को सोशलाइज़ कर रहा हूं और सभी राज्यों की रिकवायरमेंट्स को फेयर मैनर में मीट करूंगा। इसमें किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं होगा to the best of my ability and within the constraints of the present law.

(ends)

1441 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The issue that I had raised in the beginning at the time of introduction of the Bill, and subsequently, yesterday also I repeated the same thing. I am not convinced. Mr. Piyush Goyal, who is a good friend of mine, as a Minister is playing a different role in this House, and also outside. I would just remind him. Three of us had traveled to Stanford University some years ago. In that university, he was propounding the Gujarat model of development; I was asked to deliberate on the Odisha model of development; and Mr. N.K. Singh, the former Member of Rajya Sabha was asked to explain what was the Bihar model of development. I am just reminding him what he had said then. Please remember, I am not going to explain what he had said there. But here I am just mentioning what our Odisha model of development is.

Around 58 industries in Odisha have a total installed captive power generation capacity of more than 7,500 MW with an approximate annual coal requirement of more than 50,000 MT. Of this, 13 larger industrial units with captive power plants of more than 100 MW alone account for 5,000 MW capacity. These industries will be at great disadvantage due to non-earmarking of adequate number of coal blocks to meet their captive requirements. Whatever you have said, and you want to convince me, will you be convinced if you would be sitting here, if this is the case? You are throttling the neck of development of Odisha. Already industries are there; we have called them; made MoUs with them; they have set up industries with this belief that they will get coal blocks. That was the law then. But then the law is changed because of the Supreme Court's order, because of some bungling that happened during that period. Are you not here as a Minister to help them out? That is the concern of our State Government, and our party.

Secondly, this is a technical subject, and you would love understanding the technical nuances of this issue. Compare a steel plant, and a power plant-based on coal block of 200 MT. Coal block can support a 1,000 MW of power plant which requires Rs.6,000 crore of investment and will provide employment maximum up to 1,000 people.

(x2/1445/rcp/asa)

Compared to this, a 200 metric tonne coal block can support a 200 million tonne steel plant and generate 1000 MW of captive power with a total investment of around Rs. 25,000 crore. What is your priority? In case of Odisha, in case of Jharkhand, in case of Chhattisgarh … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: He has moved the Resolution. He is supposed to speak for 10 minutes. I can allow that. He is speaking on his Resolution.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): A steel plant provides fifteen times employment and four to five times investment. I would like to understand; you are a good friend of mine. I expect you are a good friend of Odisha also.

I would also like to mention here the third point.

HON. DEPUTY SPEAKER: Kindly be brief.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Yes, Sir. I am not actually debating the issue. Already a lot of issues have come up. But these are the issues which need to be addressed. If you do not address them here, you will face the music in Rajya Sabha. The same thing will be repeated there. If you have a point of view, at least our Members in Rajya Sabha will be convinced.

This Bill provides for generation of power including the generation of power for captive use in the "specified end-use" of coal blocks. In Clause 3 (V), "specified end-use" means any of the following end-uses and the expression "specified end user" shall with its grammatical variations be construed accordingly: (i) production of iron and steel; (ii) generation of power including the generation of power for captive use.

In the earlier debate, when Mr. Satpathy had participated in the month of December, he had objected to the washeries. 'Washing of coal obtained from a mine' that is still there. You had assured last time that it will be deleted. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please try to be very brief.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): In the ongoing auction, captive power has been excluded from power by an executive action in the tender condition. It is there in the Bill, but in an executive order, in the tender process you have deleted it. It is against the provision of the Bill and the Ordinance.

I am not going to suggest anything here, but it is for your consideration. You are denying a specific group of industries from participating in auction. Whom does it help? That is why, as Deepender *ji* said, it is discretionary. The other day I said it is a subjective decision. You talk of a Technical Committee. He has already explained; I am not going to go into that detail. But, please tell us whether the four biddings are not being investigated. You talk of transparency. Are you not investigating those four bids? Please tell us.

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up. Do not make a lengthy speech.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Is it foolproof? This demonstrates that it is not foolproof. The anxiety in which you are pushing this Bill, this Ordinance, it is not foolproof. Make it foolproof.

The third point is this. What did the Delhi High Court Judgement say and whether three blocks उन्होंने रोक दिया है ? ये सारी चीजें आज पब्लिक डोमैन में हैं।

Sincerely, Sir, Mr. Piyush Goyal, as a person is a good friend of mine.

HON. DEPUTY SPEAKER: He is a friend of everyone. Anyone who catches hold of coal…

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mahtab *ji*, how many times you can tell that you are a good friend of him? … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please, let him speak.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Kharge got a bit impatient. Please wait for the second line that is coming.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Mahtab, please wind up.

… (*Interruptions*)

(y2/1450/rp-bks)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): A friend of mine, if he catches coal – I am worried – because his hand will be soiled. It will be blackened. You are the Minister for Energy. But it will give a shock. The concern here is, do not soil your hands. In another two, three or six years' time, let nobody sitting in this side will say: "It is during Mr. Piyush Goyal's time, this mismanagement has happened or this deregulation has happened."

SHRI PIYUSH GOYAL: I must thank my very good friend for giving me this very timely advice. But I have the confidence that every decision that I take under the leadership of our hon. Prime Minister Shri Modi is honest and transparent. It is in public domain not because you found out from C&AG or from some investigative reporter but because I choose to put it in public domain. Every decision of the Ministry is put on the website. The auction was also on the website minute-by-minute.

Sir, these 58 units that he has alluded to are in Odisha. All of them have certain requirements. They can bid for these mines. You are saying that there are 58 power plants of 7000 megawatt. So, we have given so much more coal for the power sector that they can form JVs and can bid for coal blocks. Sadly, and actually happily for them, Odisha has very large coal mines. There were a very few which were for non-regulated sector because of which we have gone by a

defined criterion. If I did not have a defined criterion, यही आरोप लगाते और फिर मुझे छः साल के बाद चिंता करनी पड़ती। लेकिन मेरा दामन साफ है, मैंने डिफाइन क्राइटीरिया से टैक्निकल कमेटी द्वारा किया है, मुझे उसमें कोई चिंता नहीं है, संकोच नहीं है। मुझे शक यह आ रहा है कि यह ब्रीफिंग किस तरीके से की गई है कि एक कंपनी का जो उदाहरण दिया गया है, उस एक कंपनी के उदाहरण को देकर यह कैसे माना गया कि 200 मिलियन टन की कैपेसिटी का स्टील प्लान्ट, पूरे देश में 200 मिलियन टन स्टील नहीं बनता है। पता नहीं 200 मिलियन टन का कौन सा एक प्लान्ट ओडिशा में हैं।

दूसरी बात यह है कि अगर एक-एक प्लान्ट को ध्यान में रखकर हम रूल्स और एलोकेशन करें फिर तो सीधा आरोप लगेगा कि किसी एक व्यक्ति को मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्राइटीरिया के हिसाब से दूसरी माइंस हैं, जहां वहां व्यक्ति, जिसके एक प्लान्ट का जिक्र यहां किया गया है, वह बिड करके ले सकता है और अभी तो ऑक्शन शुरू हुआ है। 204 माइंस हैं और बहुत अलाट होनी हैं, बहुत ऑक्शंस होनी हैं तो और भी आगे आयेंगी, उसमें भी बिडिंग की जा सकती है।

जहां तक वाशिंग ऑफ कोल का सवाल है, मैंने सदन को पहले भी विश्वास दिलाया था और अब भी विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी माइन कोल वाशिंग के लिए नहीं दी जा रही है। यह आश्वासन मैंने पिछली बार भी दिया था और अभी फिर दोहराता हूं। It is because this is already there in the Original Act and, therefore, the end uses have not been changed from the Original Act and they continue. But we do not plan to give even one mine, specifically for end use washing of coal.

As regards whom this is meant to benefit, आप अपने गिरेबान में देखिये कि अगर मैं वह करता कि एक माइन इस तरीके से एंड यूज बने, जो एक ही व्यक्ति को मिल सके तो शायद आप ही यहां पर खड़े होकर मुझ पर आरोप लगा रहे होते कि मैं चीट कर रहा हूं, आपके देश और प्रदेश की सम्पत्ति के साथ बेईमानी कर रहा हूं। हमने ईमानदारी से किया है और जो-जो कंपनीज ने प्लान्ट लगाये हैं, मैंने पहले भी विश्वास दिलाया था, इतने एंड यूज प्लान्ट्स हैं, सबके लिए बिड करने की अपार्चुनिटी होगी, वह भी बिड करके ले सकता है।

आखिरी में दिल्ली हाई कोर्ट जजमैन्ट, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे पूरे ऑक्शन प्रोसैस की सराहना की है। जब कुछ कंपनियों ने कोर्ट के द्वारा ऑक्शन रुकवाने की कोशिश की तो कोर्ट ने कोई भी दखलंदाजी देने से इनकार कर दिया और सराहना की कि इतने खूबसूरत तरीके से यह नीलामी हो रही है, इसे चालू रखा जाए। सिर्फ दो माइनों के बारे में कोर्ट को जब किसी एक निजी कंपनी ने कहा कि वह उसका पहला अलाटी था और उसे वह अभी भी उसी एंड यूज में मिलनी चाहिए और

वास्तव में वह रखता तो यह क्राइटीरिया का उल्लंघन होता। उसके बारे में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह उसी टैक्निकल कमेटी के द्वारा रीएग्जामिन किया जाए और वह उसी टैक्निकल कमेटी के द्वारा रीएग्जामिन किया जा रहा है। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Mahtab, are you insisting on moving your Statutory Resolution?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I will wait for another six years' time.

(z2/1455/lh-rv)

HON. DEPUTY SPEAKER: Are you withdrawing your Resolution?

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I am withdrawing my Statutory Resolution.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his Statutory Resolution?

The Statutory Resolution was, by leave, withdrawn.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to provide for allocation of coal mines and vesting of the right, title and interest in and over the land and mine infrastructure together with mining leases to successful bidders and allottees with a view to ensure continuity in coal mining operations and production of coal, and for promoting optimum utilisation of coal resources consistent with the requirement of the country in national interest and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.